



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/ 07 /Accom. Sec.

दिनांक-12/02/2025

सेवा में,

वित्तीय सलाहकार,

इ०गा०आ०सं०, पटना-14

विषय:- सत्र (2023-2026) डी०एन०बी० के छात्र एवं छात्रों को आवास चार्ज (RS. 20,000) वापस करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करते हुये कहना है कि सत्र (2023 - 2026) के पी०जी० छात्र-छात्राओं (डी०एन०बी०) को संस्थान परिसर में पी०जी० छात्रावास/आवास के अनुपलब्धता की वजह से उक्त छात्र एवं छात्राओं के छात्रावास/आवास आवंटित नहीं हो सका है। उक्त छात्र ने संस्थान को आवास चार्ज प्रति वर्ष RS. 20,000/-, जो भुगतान करते हैं उसे नियमानुसार वापस किया जा सकता है, जो नाम इस प्रकार है: -

1 st Year PG Students (DNB) who have applied for allotment of accommodation but have not got the accommodation yet. Session (2023-2026)						
Sl no.	Candidate Name	Designation	Department	Date of Joining	Application Apply Date	Session
1	Dr. Brajesh Kumar Yadav	DNB Trainee (JR 1)	Emergency Medicine	29-11-2023	09-08-2024	2023-2026
2	Dr. Sanjeev Kumar	DNB Trainee (JR 1)	Emergency Medicine	05-10-2023	09-08-2024	2023-2026

उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गा०आयु०सं०, पटना

दिनांक-12/02/2025

ज्ञापक:- Q.A./59/2024/ 07 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- संबंधित PG छात्र-छात्राएँ/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
11/02/25

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गा०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./65/2024/ 05 /Accom. Sec.

दिनांक 12/02/2025

सेवा में,

वित्तीय सलाहकार,
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

विषय:- सत्र (2023-2026) के पी०जी० के छात्र एवं छात्राओं को आवास की अनुपलब्धता के एवज में आवास भत्ता निर्गत करने के आलोक में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सूचित करते हुये कहना है कि संस्थान में PG के छात्र एवं छात्राओं ने सत्र (2023-2026) के लिए नामांकन लिया है। पी०जी० के छात्र-छात्राओं ने संस्थान में आवास आवंटन के आलोक में आवेदन दिया है, परंतु आवास की अनुपलब्धता होने के कारण उक्त छात्राओं को आवास आवंटन नहीं हो सका है जो नाम इस प्रकार है:-

1st Yr.PG Students who have applied for allotment of accommodation but have not got the accommodation yet. Session (2023-2026)						
Sl no.	Candidate Name	Designation	Department	Date of Joining	Application Apply Date	Session
1	Dr. Premlata Kumari	JR1	ENT	26-10-2023	03-11-2024	2023-2026
2.	Dr. Anshuman Singh	JR1	RIO	20-10-2023	17-10-2024	2023-2026
3.	Dr. Shrishti Bharti	JR1	Obs & Gynae	30-09-2023	11-10-2024	2023-2026
4.	Dr. Ranju Kumari	JR1	Pathology	28-11-2023	09-08-2024	2023-2026
5.	Dr. Vinita Kumari	JR1	Pathology	16-10-2023	09-08-2024	2023-2026
6.	Dr. Ritesh Kumar Singh	JR1	Ophthalmology	28-10-2023	28-06-2024	2023-2026
7.	Dr. Archana singh	JR1	Obs & Gynae	11-10-2023	26-12-2024	2023-2026
8.	Dr. Shams Sabeeb	JR1	Orthopaedic	21-10-2023	30-01-2025	2023-2026

दिनांक 23/08/2024 को आवासीय सलाहकार समिति की बैठक के मद संख्या-01 में लिए गये निर्णय के आलोक में एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोंपरांत उपरोक्त पोस्ट ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं को संस्थान में नियुक्ति की तिथि से आवास भत्ता की भुगतान करने हेतु अनुमति दी गयी है।

अतः उक्त PG छात्र-छात्राओं को संस्थान परिसर में आवास आवंटन न होने के उपरांत नियुक्ति की तिथि से आवास भत्ता की भुगतान करने हेतु अनुमति दिया जाता है। यदि भविष्य में संस्थान में कोई आवास रिक्त होता है या आवास उपलब्ध होता है तो उक्त PG छात्र-छात्राओं को क्रमानुसार आवास आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए वे नियमानुसार बाध्य होंगे तथा आवंटन की तिथि से उनका आवास भत्ता कटौती किया जाएगा।

उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है।

ह० /—

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./65/2024/ 05 /Accom. Sec.

दिनांक-12/02/2025

प्रतिलिपि:- उक्त PG छात्र-छात्राएँ/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना

इन्दिरा गाँधी आधुनिकीकरण संस्थान, शेखपुरा पटना-14
(बिहार सरकार के एक स्वयंशासकीय संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./46/2021/ 08 /Accom. Sec.

दिनांक- 19/02/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Sanjay Kumar Singh, OT Assistant को आवंटित आवास का Type- 4/6 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/09/2021 सहित दिनांक 28-12-2024 की तिथि से, इन्हें आवास प्रदाता चुगतान किया जा सकता है।

हठ/-

प्रो० (डी०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 19/02/2025

ज्ञापक:- Q.A./46/2021/ 08 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Sanjay Kumar Singh, OT Assistant/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचना के आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

प्रो० (डी०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारियों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Allotted Quarter
1.	Triloki Nath	Nursing officer, MICU	B Type- 5/15
1.	Prabhu Prasad	Nursing officer, Neuro OT	B Type-5/13

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/10 /Accom. Sec.

दिनांक-25/02/25

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक

अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Swati Chandra, Pharmacist Gr.-III, Central Pharmacy को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 24.07.2025 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व आवंटित आवास संख्या B Type- 2/15 को रद्द करते हुए आवास सं० B Type- 2/1 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में आवंटित आवास सं० B Type- 2/15 को अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में 1 वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 25/08/2025

ज्ञापक:- Q.A./11/2020/13 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Swati Chandra, Pharmacist Gr.-III, Central Pharmacy/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/MDH/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Dr. Ram Chandra Patel, SR-3, Nephrology को आवंटित आवास सं० Old MDH-2/9 से, Dr. Prakash Chandra Mishra, SR-3, Gastrotentology को आवंटित आवास सं० Old MDH-2/3 से आपसी सहमति के आधार पर आवंटित आवास एक-दूसरे के साथ परिवर्तन करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

ह०/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 29/03/2025

ज्ञापक:- Q.A./58/MDH/2024/ 14 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Ram Chandra Patel, SR-3, Nephrology/ Dr. Prakash Chandra Mishra, SR-3, Gastrotentology/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
29/03/25

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

Handwritten signature



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना — 14
(बिहार सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय)

Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; FAX: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org; E-Mail: director@igims.org

पत्रांक —

दिनांक .03.2025

कार्यालय आदेश

संस्थान परिसर के पूर्व से निर्मित आवास एवं नवनिर्मित आवास जो संस्थान के कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मी को आवंटित है, के लाइसेंस शुल्क निर्धारण हेतु पत्रांक सं०—675/EC/2024, दिनांक 28.12.2024 में गठित समिति की बैठक की कारवाही में लिए गए निर्णय, जिसपर सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है। (बैठक की कारवाही एवं आवास की सूची संलग्न है।) प्राप्त अनुमोदन उपरान्त वर्ष 2017 से 2023 तक के लिए निर्धारित संशोधित लाइसेंस शुल्क की कटौती आवासितों से लेखा शाखा द्वारा किया जाएगा।

अनु०:— यथा उपरोक्त।

ह०/—

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

पत्रांक—.. /अभि०को०(वि०)/2025

दिनांक /03/2025

प्रतिलिप:—निदेशक कोषांग/संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)/संकायाध्यक्ष (परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक I & II/अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति/प्राचार्य मेडिकल कॉलेज/प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज/वित्तीय सलाहकार/ मुख्य प्रशासी पदाधिकारी/ लेखा शाखा/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत), सभी सूचना पट्ट, इ०गाँ०आ०सं०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

पत्रांक — 931/अभि०को०/25

दिनांक 28.03.2025

प्रतिलिप:—अधीक्षण अभियन्ता (बायोमेडिकल) संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


25/03/25

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./65/2024/ /Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. No.	Name	Designation	Department	Session (2024-2027)	Quarter
1.	Dr. Ananya	JR-1	Anaesthesiology	2024-2027	A Type (PG Quarter) B-201
2.	Dr. Sandeep Sarkar	JR-1	General Surgery	2024-2027	A Type (PG Quarter) B-101
3.	Dr. Rishav Kumar	JR-1	General Medicine	2024-2027	A Type (PG Quarter) B-303
4.	Dr. Maria Robinson. I	JR-1	Anaesthesiology	2024-2027	A Type (PG Quarter) A-302
5.	Dr. Zaufashan Hoda	JR-1	ENT	2024-2027	A Type (PG Quarter) A-104
6.	Dr. Pema Namgyal Sherpa	JR-1	Anaesthesiology	2024-2027	A Type (PG Quarter) A-304

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट 1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।

2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह० / -

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक-15/04/2025

ज्ञापांक:- Q.A./65/2024/19/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:-उक्त चिकित्सकों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./67/2025/IS /Accom. Sec.

दिनांक:- 15/04/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Sneha Nancy Vincent, Nursing officer को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 27.03.2025 के आलोक में आवास सं० B Type-5/4 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र अर्थात् अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./67/2025/IS /Accom. Sec.

दिनांक:- 15/04/2025

प्रतिलिपि:- Sneha Nancy Vincent, Nursing officer/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. Suman
15/04/25
प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./46/2021/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत आरती देवी, सेनेटरी अटेंडेन्ट, ओल्ड प्राइवेट वार्ड को आवंटित आवास सं० A Type- 2/1 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 13-03-2025 की तिथि से, इन्हें आवास भत्ता का भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 15/04/2025

ज्ञापांक:- Q.A./46/2021/16 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- आरती देवी, सेनेटरी अटेंडेन्ट, ओल्ड प्राइवेट वार्ड/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

दिनांक- 15/04/2025

पत्रांक: Q.A./65/2024/ 18 /Accom. Sec.

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Kirti Verma, JR-2, Anaesthesia & CCM को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 27.03.2025 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या A Type (PG Quarter) A-03 को रद्द करते हुए आवास सं० A Type (PG Quarter) B-103 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवास सं० A Type (PG Quarter) B-103 को अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में आवंटित आवास सं० A Type (PG Quarter) A-03 को अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 15/04/2025

ज्ञापक:- Q.A./65/2024/ 18 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Kirti Verma, JR-2, Anaesthesia & CCM/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./65/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. No.	Name	Designation	Department	Quarter
1.	Dr. Shrishti Bharti	JR-2	Obs & Gynae	A Type (PG Quarter) B-302
2.	Dr. Richa Mishra	JR-2	General Surgery	A Type (PG Quarter) B-303

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

- नोट** 1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/—

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 15/04/2025

ज्ञापक:- Q.A./65/2024/ 17/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:-उक्त चिकित्सकों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गाँ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/MDH/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Ram Chandra Patel, SR-3, Nephrology को आवंटित आवास सं० Old MDH-2/9 से, Dr. Prakash Chandra Mishra, SR-3, Gastroenterology को आवंटित आवास सं० Old MDH-2/3 से आपसी सहमति के आधार पर आवंटित आवास एक-दूसरे के साथ परिवर्तन करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

ह0 / -

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./58/MDH/2024/ **14** /Accom. Sec.

दिनांक- **29/03/2025**

प्रतिलिपि:- Dr. Ram Chandra Patel, SR-3, Nephrology/ Dr. Prakash Chandra Mishra, SR-3, Gastroenterology/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. S.
29/03/25

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Swati Chandra, Pharmacist Gr.-III, Central Pharmacy को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 24.07.2025 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व आवंटित आवास संख्या B Type- 2/15 को रद्द करते हुए आवास सं० B Type- 2/1 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में आवंटित आवास सं० B Type- 2/15 को अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में 1 वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 25/08/2025

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/13 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Swati Chandra, Pharmacist Gr.-III, Central Pharmacy/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./65/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Juhi Prabha, JR 2, General Surgery को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 28.05.2025 के आलोक में छात्रावास/आवास संख्या A Type (PG Quarter) A- 202 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरों को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह० / -

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक-13/06/2025

ज्ञापांक:- Q.A./65/2024/39 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Juhi Prabha, JR 2, General Surgery/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. U.
13/06/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14

19/6/2025



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./58/2024/MDH/ /Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Tharagan R., M.Ch-2, Urology को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 20.03.2025 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या New MDH- 31 को रद्द कर दिया गया है, आवास सं० New MDH- 05 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास सं० New MDH- 05 को अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में आवंटित आवास सं० New MDH- 31 का अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण करा जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षर को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 13/06/2025

ज्ञापक:- Q.A./58/2024/MDH/ 36 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Tharagan R., M.Ch-2, Urology/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
13/06/25

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

19/6/2025



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./46/2021/ 66 /Accom. Sec.

दिनांक- 03/10/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Vivekanand Goswami, LDC को आवंटित आवास सं० A Type- 4/16 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 10.09.2024 की तिथि से, इन्हें आवास भत्ता भुगतान किया जा सकता है।

ह0 / -

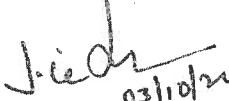
प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 03/10/2024

ज्ञापांक:- Q.A./46/2021/ 66 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Vivekanand Goswami, LDC/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


03/10/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशासकी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./43/2020/65/Accom. Sec.

दिनांक- 03/10/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त नर्सिंग ऑफिसरों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

MNH आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Allotted Quarter
1.	Nihal Singh Gurjar	Nursing officer, SCI	New MNH-25
2.	Prity Kumari	Nursing officer	Old MNH-4/3
3.	Priyanka Kumari	Nursing officer, General Medicine-II	New MNH-26

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापक:- Q.A./43/2020/65/Accom. Sec.

दिनांक- 03/10/2024

प्रतिलिपि:- उक्त नर्सिंग ऑफिसरों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Je dr
03/10/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./43/2020/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Kumari Kanchan, Senior Nursing Officer को आवंटित आवास सं० New MNH- 35 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 05-10-2024 की तिथि से, इन्हें आवास भत्ता भुगतान किया जा सकता है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 17/10/2024

ज्ञापक:- Q.A./43/2020/70/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Kumari Kanchan, Senior Nursing Officer /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


17/10/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14
(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/2024/75/Accom. Sec.

दिनांक- 16/11/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Nithyapriya TK, DM, Cadiology को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 24/10/2024 के आलोक में प्रथम बदलाव के तहत इन्हें पूर्व में आवंटित आवास सं० Old MDH-2/4 को रद्द करते हुए, आवास सं० Old MDH-3/4 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का **License Fee** देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति **(Basic + NPA)** का **25% प्रतिमाह** की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 16/11/2024

ज्ञापांक:- Q.A./58/2024/75/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Nithyapriya TK, DM, Cadiology /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (ब्रायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


16/11/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/ ~~73~~ /Accom. Sec.

दिनांक- 12/11/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Abhishek Singh, Nursing officer, Cath Lab को आवंटित आवास सं० B Type- 1/6 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 15-10-2024 की तिथि से, इन्हें आवास भत्ता भुगतान किया जा सकता है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./11/2020/~~73~~ /Accom. Sec.

दिनांक- 12/11/2024

प्रतिलिपि:- Abhishek Singh, Nursing officer, Cath Lab /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/

/Accom. Sec.

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Kiran devi, OT Assistant को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 15.10.2024 के आलोक में आवास सं० B Type-3/14 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 12/11/2024

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/74/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Kiran devi, OT Assistant/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारियों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Allotted Quarter
1.	Manish Kumar	JAA, Nursing College	B Type-3/8
2.	Kartik Lal	HA, Lab Attendant	B Type-2/8

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 25/10/2023

ज्ञापक:- Q.A./11/2020/72/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/2024/ 78 /Accom. Sec.

दिनांक-30/11/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Kumar Abhishek, Senior Resident, General Surgery को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 11/11/2024 के आलोक में आवास सं० Old MDH-3/9 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।



- 1. Residency / Tenure Programme** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का **License Fee** देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति **(Basic + NPA)** का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

हो/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापक:- Q.A./58/2024/ 78 /Accom. Sec.

दिनांक-30/11/2024

प्रतिलिपि:- Dr. Kumar Abhishek, Senior Resident, General Surgery/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/11/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./43/2020/ 77/Accom. Sec.

दिनांक-30/11/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Mriganayani Das, Nursing officer, Red Zone को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 14.11.2024 के आलोक में आवास सं० New MNH-11 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह०/-

प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

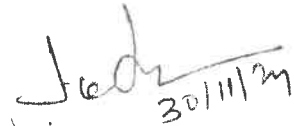
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक-

ज्ञापांक:- Q.A./43/2020/ /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Mriganayani Das, Nursing officer, Red Zone/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

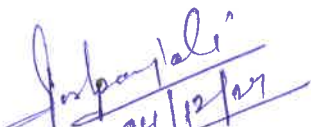
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14


24/12/24



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./46/2021/76 /Accom.Sec.

दिनांक: 21/11/2024

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार, A-Type आवास के Block- 02 एवं 04 में आवासित, सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान में पी०जी० के छात्र एवं छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से संस्थान में छात्रावास की अभाव हो गया है। पी०जी० छात्रावास की आपूर्ति कराने हेतु A-Type के Block -02 एवं 04 को खाली कराकर, नवीकरणों एवं मरम्मतकरणोंपरांत पी०जी० छात्रावास बनाने हेतु सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि पी०जी० के छात्र एवं छात्राओं को संस्थान परिसर में रहना अनिवार्य है।

उक्त आलोक में A-Type आवास के Block -02 एवं 04 में आवासित, सभी कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि आप सभी A Type के ब्लॉक A-02 एवं A-04 को खाली कर B-Type में आवास परिवर्तन कर सकते हैं। आवास परिवर्तन हेतु 4 कार्य दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी को आवेदन देकर सूचित करें, ताकि शीघ्र अग्रेतर कारवाई किया जा सके।

यदि आप चाहें तो अपना आवास छोड़कर संस्थान से बाहर भी आवासीत हो सकते हैं जिसके लिए आवास भत्ता देय होगा।

आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में संस्थान द्वारा A-Type आवास के ब्लॉक A-02 एवं A-04 में आवासीत सभी कर्मियों को आवास परिवर्तन का आदेश संस्थान द्वारा स्वयं निर्गत कर दिया जाएगा, जो सभी को मान्य होगा।

उक्त आलोक में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गा०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 21/11/2024

ज्ञापक:— Q.A./46/2021/76 /Med. College

प्रतिलिपि:— ब्लॉक A-02 एवं A-04 के सभी कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गा०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/ 51 /Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

कार्यालय आदेश

Dr. Anand Kumar Gupta, Associate Professor, Pediatrics को सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 22/12/2023 को आवास सं० Old D-1/4 आवंटित किया गया था, परंतु आपने आवंटित आवास का न तो अधिग्रहण किया और न ही आवास संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित किया। इसलिए आवास आवंटन के नियमानुसार आपका काटा गया आवास भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 18/09/2024

ज्ञापक:- Q.A./59/2024/ 51 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Anand Kumar Gupta, Associate Professor, Pediatrics/निदेशक
कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता
(विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


17/09/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14
(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

दिनांक-09/10/2024

पत्रांक:-Q.A./63/2024/69/Accom. Sec.

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Seema Kumari, Nursing officer, General Surgery को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 09.04.2024 के आलोक में आवास सं० New C Type-604 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गा०आ०सं०, पटना-14

दिनांक-09/10/2024

ज्ञापक:- Q.A./63/2024/69/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Seema Kumari, Nursing officer, General Surgery/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गा०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

दिनांक- 09/10/2024

पत्रांक:- Q.A./11/2020/ 68 /Accom. Sec.

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Shubham Kumar, JAA, Administration को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 01/10/2024 के आलोक में इन्हें आवंटित आवास सं० B Type-5/13 को रद्द करते हुये, आवास सं० B Type-2/12 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 09/10/2024

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/ 68 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Shubham Kumar, JAA, Administration/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. 09/10/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/67/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारियों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Allotted Quarter
1.	Dilip Kumar	JAA, Administration	B Type-1/6
2.	Chanchal Bharti	JMLT, Haematology	B Type-3/10

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 09/10/2024

ज्ञापक:- Q.A./11/2020/67/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. B. D. 09/10/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॅंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/53/Accom. Sec.

दिनांक-18/09/2024

सेवा में,

वित्तीय सलाहकार,

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

विषय:- सत्र (2023-2026) के पी०जी० छात्र एवं छात्रों को आवास भत्ता एरिअर देने के संबंध में।

महाराय,

उपरोक्त विषय के आलोक में सूचित करते हुये कहना है कि सत्र (2023 - 2026) के पी०जी० छात्र-छात्राओं को पत्रांक Q.A./56/2023/Accom.Sec. दिनांक 02/08/2024 द्वारा सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत आवास आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने के तिथि से आवास भत्ता भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया था, परंतु उक्त आदेश में संशोधनोपरांत संस्थान में नियुक्ति की तिथि से आवास भत्ता देय होगा। इसलिए उक्त छात्र एवं छात्राओं सत्र (2023 - 2026) को संस्थान में नियुक्ति एवं आवास आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन के बीच वाला शेष महीनों का आवास भत्ता एरिअर के रूप में दिया जा सकता है। जो नाम निम्नवत है-

1st Yr.PG Students who have applied for allotment of accommodation but have not got the accommodation yet. Session (2023-2026)						
Sl no.	Candidate Name	Designation	Department	Date of Joining	Application Apply Date	Session
1	Dr. Sohini Sanyal	JR1	Radiodiagnosis	21-09-2023	22-09-2023	2023-2026
2	Dr. MD Zafri Haque Aqueeb	JR1	Radiodiagnosis	20-09-2023	22-09-2023	2023-2026
3	Dr. Rajnish Singh	JR1	Radiodiagnosis	22-09-2023	22-09-2023	2023-2026
4	Dr. Aryan	JR1	Radiodiagnosis	20-09-2023	22-09-2023	2023-2026
5	Dr. Nomita Mittal	JR1	General Surgery	05-10-2023	06-10-2023	2023-2026
6	Dr. Priyanshi	JR1	Radiodiagnosis	06-10-2023	06-10-2023	2023-2026
7	Dr. Arpita Koner	JR1	Psychiatry	10-12-2023	22-11-2023	2023-2026
8	Dr. Vikram Kumar Bairwa	JR1	Radiation oncology	10-11-2023	25-11-2023	2023-2026
9	Dr. Saba Naaz	JR1	Psychiatry	20-10-2023	01-12-2023	2023-2026
10	Dr. Shabab Azmi	JR1	Community Medicine	06-10-2023	9-12-2023	2023-2026
11	Dr. Rajiv Kumar	JR1	Community Medicine	27-10-2023	09-12-2023	2023-2026
12	Dr. Archana Kumari	JR1	Microbiology	27-10-2023	09-12-2023	2023-2026
13	Dr. Sujeet Kumar	JR1	Community Medicine	01-11-2023	09-12-2023	2023-2026
14	Dr. Sangita Singh	JR1	Skin & VD	30-09-2023	09-12-2023	2023-2026
15	Dr. Rajadurai. S	JR1	Anaesthesiology	20-09-2023	09-12-2023	2023-2026
16	Dr. Sunita Kumari	JR1	Anaesthesiology	25-10-2023	09-12-2023	2023-2026
17	Dr. Pooja. V	JR1	Anaesthesiology	21-09-2023	09-12-2023	2023-2026
18	Dr. Vishal Deep	JR1	Anaesthesiology	30-10-2023	09-12-2023	2023-2026
19	Dr. Abhishek Vishwakarma	JR1	Anaesthesiology	11-09-2023	09-12-2023	2023-2026
20	Dr. Tadv Avinash Ashok	JR1	Dermatology	11-10-2023	11-12-2023	2023-2026
21	Dr. Varsha Rani	JR1	Skin & VD	21-10-2023	11-12-2023	2023-2026
22	Dr. Midhat Fatma Rizvi	JR1	Microbiology	13-11-2023	11-12-2023	2023-2026
23	Dr. Shanti Priya	JR1	Microbiology	28-10-2023	12-12-2023	2023-2026
24	Dr. Kumari Vinita	JR1	Microbiology	25-10-2023	12-12-2023	2023-2026



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/ 38 /Accom. Sec.

दिनांक- 13/06/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Sri Sagar Kant, Administrative officer, Administration Section, IGIMS को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2025 के आलोक में, पत्रांक Q.A/60/2024/28/Accom. Sec. दिनांक 06/05/2024 के द्वारा, इन्हें आवंटित आवास सं० Old D Type- 2/2 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

ह0/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

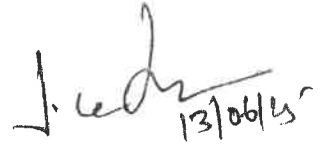
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 13/06/2025

ज्ञापांक:- Q.A./60/2024/38 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Sri Sagar Kant, Administrative officer, Administration Section/निदेशक कोषांग/चिकित्सा
अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन
शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


13/06/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

Kant
19/6/2025



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशासकी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./58/2024/MDH/ /Accom. Sec

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Dandeboyina Sreenivas, M.Ch-2, Urology को उनके अनुमोदित दिनांक 20.03.2025 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या New MDH- 32 का रद्द करते हुए, आवास सं० New MDH- 12 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास सं० New MDH- 12 को अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में, आवंटित आवास सं० New MDH 32 का अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरों को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 13/06/2025

ज्ञापांक:- Q.A./58/2024/MDH/ 35 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Dandeboyina Sreenivas, M.Ch-2, Urology/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

19/6/2025



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/ 52 /Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

कार्यालय आदेश

Dr. Apoorva Agrawal, JR-1, Psychiatry, Session (2023-2026) ने संस्थान में आवास आवंटन हेतु दिनांक 03/10/2023 को आवेदन दी थी, परंतु उस वक्त पी०जी० छात्रावास/आवास खाली न होने की वजह से इन्हें ससमय आवास आवंटित नहीं हो सका। आवास खाली होने के उपरांत दिनांक 06/12/2023 को इन्हें आवास आवंटित किया गया है। इसलिए दिनांक 03.10.2023 से 05.12.2023 तक (नामांकन से आवंटन के बीच की अवधि हेतु) का आवास भत्ता दिया जा सकता है।

उक्त आलोक में सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./59/2024/ 52 /Accom. Sec.

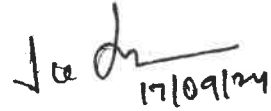
दिनांक- 18/09/2024

प्रतिलिपि:- Dr. Apoorva Agrawal, JR-1, Psychiatry, Session (2023-2026)/निदेशक कोषांग/चिकित्सा

अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा

पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


17/09/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/ 50 /Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

कार्यालय आदेश

अभ्यर्थियों को नाम निम्नवत है:-

1. Avinash Kumar Bharti, Jr. Physiotherapist, cum Assistant Professor (Offg.), Department of Physiotherapy, Pay Level- 6
2. Md Sarfaraz Alam, Jr. Physiotherapist cum Lecturer (Offg.), Department of Physiotherapy, Pay Level- 6

उपरोक्त अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि आपने डी० टाईप आवास आवंटन हेतु आवेदन दिया था, परंतु डी० आवास आवंटन हेतु आप सभी अहर्ता एवं पात्रता नहीं रखते हैं, इसलिए आपको डी० टाईप आवास आवंटित नहीं किया जा सकता है।

ह० / -

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./59/2024/ 50 /Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

प्रतिलिपि:- उक्त अभ्यर्थियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Je dr
17/09/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/54 /Accom. Sec.

दिनांक- 23/09/2023

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Sangeeta Kumari, A.N.S., Obs & Gynae को आवंटित आवास सं० B Type- 2/8 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 10.09.2024 की तिथि से, इन्हें आवास भत्ता भुगतान किया जा सकता है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

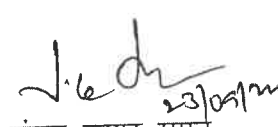
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 23/09/2024

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/54 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Sangeeta Kumari, A.N.S., Obs & Gynae/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/ 55 /Accom. Sec.

दिनांक-23/09/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Asha Kumari, Nursing officer, CTVS OT को आवंटित आवास सं० B Type- 5/13 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 24.08.2024 की तिथि से इन्हें आवास भत्ता भुगतान किया जा सकता है।

ह०/-

प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/557/Accom. Sec.

दिनांक-23/09/2024

प्रतिलिपि:- Asha Kumari, Nursing officer, CTVS OT/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/56 /Accom. Sec.

दिनांक- 23/09/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Abhishek Singh, Nursing officer, Cath Lab को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2024 के आलोक में इन्हें आवंटित आवास सं० B-Type-1/6 संस्थान में समर्पण करने हेतु अनुमति दी जाती है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./11/2020/56 /Accom. Sec.

दिनांक- 23/09/2024

प्रतिलिपि:- Abhishek Singh, Nursing officer, Cath Lab/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ju
23/09/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/ 48/Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

कार्यालय आदेश

जितेन्द्र कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड-2, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को सूचित किया जाता है कि आवास आवंटन के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आपके विभाग के दो अभ्याथियों को जो आपसे सीनियर है, उन्हें आवास आवंटित दिनांक 09/07/2024 को कर दिया गया था। प्रतीक्षा सूची में आपका नाम नियुक्ति की तिथि के अनुसार नंबर 3 स्थान पर था, इसलिए आपको आवास आवंटित नहीं हो सका।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./59/2024/ 48/Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

प्रतिलिपि:- जितेन्द्र कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड-2, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


17/09/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/ 49 /Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

कार्यालय आदेश

शिकायतकर्ता का नाम निम्नवत है:-

1. ललित भूषण, रेडियोथेरेपिस्ट, एस० सी० आई० :- ने दिनांक 16/07/2024 को आवास आवंटन हेतु आवेदन दिया है। इनका संस्थान में योगदान तिथि 12/03/2010 एवं पे लेबल-7 है।
2. देवेश कुमार श्रीवास्तव, रेडियोथेरेपिस्ट, एस० सी० आई० :- ने दिनांक 18/07/2024 को आवास आवंटन हेतु आवेदन दिया है। इनका संस्थान में योगदान तिथि 13/10/1997 एवं पे लेबल-7 है।

उपरोक्त शिकायतकर्ता को सूचित करते हुये कहना है कि आवास आवंटन के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुये प्रथम चरण के आवास आवंटन की कारवाई दिनांक 09/07/2024 को संपन्न हो गया था। उस वक्त आपने आवास आवंटन हेतु कोई आवेदन नहीं दिया था। आवास आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन में से आपके विभाग को नियमानुसार दो अभ्यर्थियों को आवास आवंटित कर दिया गया था। इसलिए आपको आवास आवंटित नहीं किया जा सका। अतः आपका शिकायत वैध नहीं है।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./59/2024/ 49 /Accom. Sec.

दिनांक- 18/09/2024

प्रतिलिपि:- उक्त शिकायतकर्ता/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


17/09/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/64 /Accom. Sec.

दिनांक-27/09/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारी को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Allotted Quarter
1.	Mithilesh Paswan	Office Attendant, Medical College	B Type-4/10
2.	Mathura Sharma	H.A, Engineering Cell	B Type-4/6
3.	Indu Kumari	OTA, Reproductive medicine	B Type-5/7
4.	Shubham Kumar	JAA, Administration	B Type-5/13
5.	Naresh Ram	H.A, College of Nursing	B Type-2/14
6.	Vishnu Kumar	LDC, College of Nursing	B Type-5/11
7.	Rajendra Kumar	Office Attendant, Director Cell	B Type-2/10
8.	Saryug Prasad	H.A, Engineering Cell	B Type-3/12
9.	Rahul Sanskrityan	Pump operator, Engineering Cell	B Type-3/11
10.	Manish Kumar	OTA, Reproductive Medicine	B Type-5/10
11.	Sekunda Kujur	JAA, Administration	B Type-1/12
12.	Navratan Ram	Pump operation, Engineering Cell	B Type-1/15

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापक:- Q.A./11/2020/64 /Accom. Sec.

दिनांक- 27/09/2024

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Jedh
27/09/24

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गौ०आय०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/ 63 /Accom. Sec.

दिनांक- 27/09/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारियों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Allotted Quarter
1.	Ranju Rani	JMLT, Microbiology	B Type-4/8
2.	Rajesh Kumar	JAA, Administration	B Type-5/12
3.	Shashi Bhushan Shashi	Dissection Hall Attendant	B Type-5/9

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

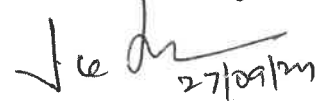
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापक:- Q.A./11/2020/ 63 /Accom. Sec.

दिनांक- 27/09/2024

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता, (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./11/2020/ 62/Accom. Sec.

दिनांक- 27/09/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारी को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में प्रथम बदलाव के तहत पूर्व में आवंटित आवास को रद्द करते हुये, उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Previous Allotted Quarter	Changed Quarter
1.	Rajeev Ranjan	Animal House Attendant	B Type-1/13	B Type-1/5
2.	Sarita Kumari	JMLT, Pathology	B Type-2/16	B Type-2/11
3.	Jessy Sebastian	JAA, Dean Exams	B Type-1/1	B Type-4/1

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में 1 वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/ 62/Accom. Sec.

दिनांक- 27/09/2024

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./58/2024/MDH/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Dr. Rohit Lal, SR, General Surgery को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 07.05.2025 के आलोक में आवास संख्या Old MDH- 215 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आ०सं०, पटना

दिनांक- 13/06/2025

ज्ञापांक:- Q.A./58/2024/MDH/ 37 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Rohit Lal, SR, General Surgery/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आ०सं०, पटना

13/6/2025



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

दिनांक- 01/02/2025

पत्रांक:-Q.A./11/2020/ 02/Accom. Sec.

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारियों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Allotted Quarter
1.	Deepshikha	Speech therapist	B Type-3/1
1.	Rita devi	Hospital Attendant, Nursing College	B Type-4/4

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान व बिजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देव अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंट हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 01/02/2025

ज्ञापांक:- Q.A./11/2020/ 02/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपाल अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशासकीय संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/ /Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त **Sagar Kant, Administrative officer, Administration Section** को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 02/05/2025 के आलोक में आवास सं० Old D Type-2/2 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./60/2024/ 28 /Accom. Sec.

दिनांक- 06/05/2025

प्रतिलिपि:- Sagar Kant, Administrative officer, Administration Section/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./67/2025/

/Accom. Sec.

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कर्मचारियों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में प्रथम बदलाव के तत्पश्चात् पूर्व में आवंटित आवास को रद्द करते हुये, उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

OLD B TYPE आवास का आवंटन

Sl. No	Name	Designation	Previous Allotted Quarter	Changed Quarter
1.	Jasmine Mathew	Nursing officer	Old MNH-4/11	Old B Type- 5/1
2.	Haribhakti Pushpa	Stenographer	Old B Type- 3/16	Old B Type- 3/5

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विजली विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में 1 वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

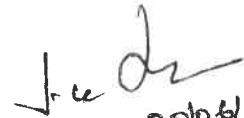
ज्ञापक:- Q.A./67/2025/ 40/Accom. Sec.

दिनांक- 20/08/25

प्रतिलिपि:- उक्त कर्मचारियों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक

अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


20/08/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

